वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 का कार्यवृत्त

डॉ0 यू0एस0रावत, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न 15वीं वित्त समिति की बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष में दिनांक 05.12.2017 दिन मंगलवार समय पूर्वान्ह 12 बजे से आयोजित/सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही है :–

01	डॉ0 यू0एस0रावत, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री महेश कौशिवा, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
03	श्री वेदीराम, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव ,तकनीकी शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	श्री एम0एम0 सेमवाल, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
05	श्री0 वी0पी0सिंह, संयुक्त सचिव, (वित्त) प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग ,उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
06	श्री जयपाल सिंह तोमर, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	संयोजक/सदस्य
07	डॉ0 अनीता रावत, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य

उक्त के अलावा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, निदेशक, आई0आई0टी0,रूड़की एवं कुलपति गो0ब0पंत, कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कतिपय कारण वश बैठक में प्रतिभाग नही किया गया। इस क्रम में मा0 सदस्यों द्वारा उक्त बैठक का एजेण्डा एक दिन पूर्व उपलब्ध होने पर आपत्ति प्रकट की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि भविष्य में बैठक से एक सप्ताह पूर्व बैठक का एजेण्डा उपलब्ध करा दिया जाय जिस पर मा0कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

सर्वप्रथम मा0कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित मा0 सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तत्पश्वात बैठक आरम्भ की गई तथा एजेण्डा बिन्दुवार निम्न लिखित निर्णय लिये गये। वित्त समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु–01 पर विगत बैठक दिनांक 10.11.2016 को अयोजित/सम्पन्न वित्त समिति की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा यह अपेक्षा की गयी की बिन्दु संख्या 09,10 पर शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें।

जेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	विनिश्चिय
बिन्दु–02	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय तथा संघटक संस्थानों का वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ–	**वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्यय अनुमान** **अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–** 1–उ0त0वि0 की अनु0 आय : **रु0 42.24 करोड़** उ0त0वि0 की अनु0व्यय : **रु0 35.45 करोड़** 2–सं0 संस्थानो की अनु0 आय : **रु0 12.06 करोड़** सं0 संस्थानो का अनु0 व्यय : **रु0 11.72 करोड**	01. वित्त समिति वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित आय– व्यय पर नियमानुसार प्रावधान किये जाने की संस्तुति करती है। 02. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियमित मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को 07वें आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिय जा रहे वेतन के सम्बन्ध में शासन से नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने की समिति संस्तुति प्रदान करती है।
बिन्दु–03	यू0टी0यू0 तथा संघटक संस्थानों का वित्तीय वर्ष 2016–17 का अन्तिम आधिक्य एवं बचत विवरण अनुमोदनार्थ–	**अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	प्रस्तावित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 का अधिक व्यय एवं बचत विवरण उच्च समिति के सम्मुख रखते हुए नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई।
बिन्दु–04	वित्त विभाग, उ0शासन द्वारा जारी पत्रांक 142(1)/XXVII(7)/विविध/2016 दिनांक 16.08.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत्त समस्त आउटसोर्स कार्मिकों को 12वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.11.2012 के निर्णय संख्या 13 के दृष्टिगत जनवरी, 2014 से उपनल के माध्यम से कार्यरत्त इन कार्मिकों को देय संकलित मानदेय यथावत् ही अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव– **तथा** शासनादेश संख्या 791/XVII-5/16-09(17)/2004/TC-1दिनांक22.07.2016 द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृति तिथि से अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव –	1–विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में कार्यो के सूचारू सम्पादन हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा 09 कर्मचारी सीधे संविदा पर नियुक्त किये गये थे। (06 डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर,/01 वाहन चालक/02 अनुसेवक) 2–उक्त कार्मिको को अप्रैल, 2006 से माह फरवरी 2008 तक निरन्तर विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिमाह नियत मानदेय का भुगतान किया जाता रहा। 3– प्रथम वित्त समिति दिनांक 23.10.2007 के एजेण्डा बिन्दु 03 के अनुसार उक्त 09 संविदा कार्मिकों को संविदा से हटाकर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर मार्च 2008 से दिसम्बर, 2013 तक मानदेय भुगतान किया गया। इस अवधि में कर्मचारियों को मै0 समर्पित सुरक्षाप्रा0लि0 देहरादूनएवं मै0 प्रोवीज मैन सिस्टम के माध्यम से03–03 वर्षो हेतु नियुक्त किया गया तथा समय–समय पर अन्य नियुक्त कार्मिक भी इन्हीं	**प्रस्ताव संख्या–04 पर समिति द्वारा विचारोपरांत निम्न संस्तुति प्रदान की गई :–** 01. पूर्व में शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदो के सापेक्ष उपनल से प्रायोजित आउटसोर्स के रूप में व्यक्तियों से ली जा रही सेवाओं के परिपेक्ष्य में मानदेय एवं पारिश्रमिक भुगतान का आहरंण शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार/मानकों के आधार पर आउटसोर्स संस्था को किया जाय। 02. पूर्व में उपनल के व्यक्तियों को दिए गये अधिक मानदेय को आउटसोर्स संस्था से पत्राचार कर समायोजन किऐ जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाय। 03. उपनल से प्रायोजित कर्मियों को देय मानदेय के सम्बन्ध में वित्त विभाग

		फर्मो के माध्यम से नियुक्त किये जाते रहे। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों के मानदेय में समय–समय पर वृद्धि की गयी । अन्तिम वृद्धि की स्वीकृति वित्त समिति की 12वीं बैठक दिनांक 19.11.2012 के एजेण्डा बिन्दु 13 में प्रदत्त है। 4–उक्त आउटसोर्स फर्मो की निविदा अनुबन्ध समाप्त हो जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा एक कमेटी गठित करपूर्व स्वीकृत वेतन/मानदेय पर ही कार्यालय आदेश पत्रांक 19839ए/यू0टी0यू0/14 दिनांक 03.03.2014 द्वारा उपनल के साथ निष्पादित एम0ओ0यू0 अनुसार जनवरी, 2014 से समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को उपनल के माध्यम से नियुक्त कर पूर्व वेतन/मानदेय का भुगतान माह सितम्बर, 2017 तक लगातार किया जाता रहा है। 5– वर्तमान में उपनल द्वारा पदो के सापेक्ष नियत मानदेय एवं सितम्बर 2017 में कार्मिको को मानदेय/वेतन भुगतान का विवरण संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 142(1)/XXVII(7)/विविध/2016 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा उपनल कार्मिकों का वेतन/मानदेय मानकों के अनुसार भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय/कर्मचारी हित को देखते हुये लम्बी कार्यअवधि उपरांत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में कमी किया जानान्यायोचितप्रतीत नहीं होता है। साथ ही अवगत कराना हैं कि उपनल कार्मिको द्वारा माह सितम्बर 2017 में भुगतान किये गये मानदेय के अनुसार ही मानदेय/वेतन दिये जाने तथा उपनल कार्मिको को अनुमन्य त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की मांग की जा रही है। अतः विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से	**शासनादेश दिनांक 16.08.2017 के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।**

		कार्यरत समस्त कार्मिकों का माह सितम्बर 2017 में दिये गये वेतन/मानदेयके अनुसार ही वेतन/मानदेय का भुगतान तथा उपनल कार्मिको को त्रैमासिक आधार पर देय प्रोत्साहन भत्ता **माह जौलाई, 2016 से** अनुमन्य किये जाने का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
बिन्दु–05	आयकर विभाग के पत्र दिनांक 26.06.2017 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2015–16 का आयकर विवरणी सी0ए0 के माध्यम से तैयार कर आयकर विभाग में जमा कराया गया तथा वित्त वर्ष 2013–14, 2014–15 की बैलेंस शीट तैयार किये जाने हेतु सी0ए0 को **₹ 2.36** लाख (कर सहित) का भुगतान किया गया, जिसकी कार्योत्तर एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	आयकर उपायुक्त द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित नोटिस दिनांक 26.07.2017 के क्रम में वित्त वर्ष 2015–16, का आय कर विवरणी दाखिल किये जाने एवं वित्त वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 बैलेंस-शीट तैयार किये जाने हेतु कोटेशन के आधार पर मै0 लवेश कालरा, सी0ए0 से प्राप्त न्यूनतम दर ₹ 2.36 लाख (कर सहित) पर कार्य कराते हुए भुगतान किया गया।	**प्रस्ताव संख्या 05 पर विचार करते हुए यह पाया गया कि वर्तमान प्रस्तावित दरें कोटेशन के आधार पर प्राप्त की गई हैं जोकि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार है। उक्त प्रकरण गत वित्तीय वर्ष का होने के कारण विश्वविद्यालय उच्च कमेटी से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाय।**
बिन्दु–06	1–विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित JEE MAIN काउंसलिंग–2017 में नामित नोडल अधिकारी/सहायक कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रस्ताव–	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित JEE MAIN काउंसलिंग–2017 में कार्मिको द्वारा कार्यालय अवधि अतिरिक्त तथा सार्वजनिक अवकाशों में भी कार्य सम्पादित किया जाता है। उक्त काउंसलिंग हेतु नामित/कार्यरत नोडल अधिकारी को काउंसलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु एक मुश्त रू0 10000.00 की दर से तथा 02 सहायक कर्मचारियों को रू0 5000.00 प्रति कर्मचारी की दर से मानदेय भुगतान किया जाने का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**समिति द्वारा JEE MAIN काउंसलिंग एवं UKSEEE काउंसलिंग हेतु नामित/कार्यरत नोडल अधिकारी को काउंसलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु एक मुश्त रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सम्पूर्ण अवधि हेतु एकमुश्त पारिश्रमिक दर तृतीय श्रैणी रू0 5000.00(रू0 पांच हजार) वाहन चालक रू0 4000.00 (रू0 चार हजार)एवं चतुर्थ श्रैणी रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार) की दर से पारिश्रमिक भुगतान के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।**
	2–विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित UKSEEE काउंसलिंग–2017 में कार्यरत कार्मिकों को पारिश्रमिक एवं गठित मोबाईल हैल्पलाईन सेवापारश्रमिक हेतु भुगतान एवं आगामी वर्षो में भीउक्तानुसार भुगतान का प्रस्ताव –	उक्त काउंसलिंग हेतु नामित/कार्यरत नोडल अधिकारी को काउंसलिंग की सम्पूर्ण अवधि हितु एक मुश्त रू0 10000.00 की दर से तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सम्पूर्ण अवधि हेतु एकमुश्त पारिश्रमिक दर तृतीय श्रैणीरू0 5000.00 वाहन चालक रू0 4000.00 एवं चतुर्थ श्रैणी रू0 3000.00 की दर से पारिश्रमिक भुगतान का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
बिन्दु–07	विश्वविद्यालय पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु समय–समय पर आयोजित रिसर्च	विश्वविद्यालय पी0एच0डी पाठ्यक्रम में अन्तर्गत 03,07.2017 से 09.07.2017 तक रिसर्च	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

	मैथौलोजी कार्यक्रम के दौरान कार्यरत्त कार्मिकों को पारिश्रमिक भुगतान तथा आगामी वर्षो हेतु दरे अनुमोदन का प्रस्ताव–	मैथोडॉलोजी की कक्षायो एवं पी0एच0डी0 प्रवेश साक्षात्कार का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कतिपय कार्मिकों द्वारा यह कार्य कार्यालय अवधि से अतिरिक्त समय एवं अवकाश के दिनो में भी सम्पादित किया गया है। इस हेतुपारिश्रमिक/मानदेय दर तृतीय श्रेणी हेतु रू0 3000.00एवं चतुर्थ श्रेणी हेतु रू0 2000.00 की दर से एक मुश्त भुगतान एवं आगामी वर्षो हेतु भी उक्त दरे **अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
बिन्दु–08	एस0पी0ए0 योजनान्तर्गत यू0टी0यू0 के 05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवनों की तथा यू0टी0यू0 निधि के 04 निर्माणाधीन कार्यो की दिनांक 31.10.2017 तक की भौतिक/वित्तीय प्रगति सूचना संज्ञानार्थ तथा प्रश्नगत कार्य अभी पूर्ण न होने पर एवं लागत वृद्धि न होने की शर्त पर सभी निर्माण कार्यो की विस्तारित अवधि **दिनांक 31.03.2018** तक किये जाने का प्रस्ताव –	14वीं वित्त समिति द्वारा विस्तारित अवधि दिनांक 31.03.2017 तक भी निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर एवं लागत वृद्धि न होने की शर्त पर सभीनिर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अग्रेत्तर दिनांक 31.03. 2018 तक अवधि विस्तारण का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**वित्त समिति द्वारा निर्माण कार्यो की प्रगति का अवलोकन करते हुये लागत वृद्धि न होने की शर्त पर सभी निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु अग्रेत्तर दिनांक 31.03.2018 तक अवधि विस्तारण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु–09	अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की चयनसमिति/अम्पायर्स/रेफरी/स्कोरर आदि एवं ग्राउण्डसमैन, लाईनमैन खिलाड़ियों/मैनेजर/कोच आदि के यात्रा भत्ता/मानदेय की दरों का विस्तृत प्रस्ताव –	वर्तमान में प्रदान किये जाने वाले मानदेय की दरें, ए0आई0यू0 की दरों मे काफी कम होने के कारण वर्तमान में लागू दरों में वृद्धि का **प्रस्ताव संलग्नक के अनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**प्रस्ताव संख्या 09 पर समिति द्वारा विचार किया गया। इस सम्बन्ध में मत स्थपित हुआ कि अन्य, राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उक्त विषय पर की जा रही कार्यवाही एवं वास्तविक दरों का अध्ययन करते हुए एक समिति गठित कर संस्तुति प्राप्त करते हुए आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाय। जब तक उक्त प्रकरण पर पूर्व दरें ही प्रभावी माने जाने की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जाती है।**
बिन्दु–10	विश्वविद्यालय में कार्यरत्त वाहन चालकों को एक अतिरिक्त माह के वेतन भुगतान एंव तथा चालको व चतुर्थ श्रेणी कार्मिको वर्दी दिये जाने का प्रस्ताव –	विश्वविद्यालय मे उपनल के माध्यम से कार्यरत वाहन चालकों द्वारा भी राजकीय वाहन चालकों की भांति कार्य सम्पादित किया जाता है। अतः उन्हें भी राजकीय चालकों की भांति वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह मार्च में एक माह का अतिरिक्त वेतन/मानदेय तथा चालको व चतुर्थ श्रेणी कार्मिको वर्दी दिये	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया।**

		जाने का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
बिन्दु–11	सचिव श्री राज्यपाल, के पत्रांक 2517/जी0एस0 शिक्षा/जे–71/2017 दिनांक 04.10.2017 के अनुपालन में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु दून विश्वविद्यालय को ₹ 10.00 लाख भुगतान की धनराशि पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव –	**प्रस्ताव अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि जारी की गयी धनराशि का दून विश्वविद्यालय से तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार धनराशि का समायोजन किया जाय।**
बिन्दु–12	दिनांक 14.11.2017 को आन्तरिक समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव–	दिनांक 14.11.2017 को आन्तरिक समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत–	**बिन्दु संख्या (01–04)** **प्रस्ताव पर विचारोंपरांन्त यह मत स्थापित हुआ कि शासन द्वारा संघटक कॉलेजों के लिए बी0ओ0जी0 गठित की गई है। ऐसी स्थिति में समिति इन प्रस्तावों पर शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप विचार किए जाने की संस्तुति करती है।** **एम0टैक/एम0फार्मा0 पाठ्यक्रमों में कार्यरत्त शैक्षणिक कार्मिकों, जो संविदा पर कार्यरत्त है, उनकों वार्षिक वेतन वृद्धि आदि नियमानुसार अनुमन्य नहीं की जाती है, बल्कि अनुबन्धित अवधि के लिए नियत मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारित होता है। अतः समिति द्वारा संविदा पर कार्यरत्त शैक्षणिक कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नियमानुसार अनुमन्य न होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। समिति का यह भी मत है कि**
	1– समस्त संघटक संस्थानो में कार्यरत्त शैक्षणिक स्टॉफ के वेतन वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत–	1–महिला तकनीकी संस्थान सुद्धोवाला एवं टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0 के निदेशकों द्वारा बैठक मे यह अवगत कराया गया कि उनके संस्थान हेतु बी0ओ0जी0 गठित है। समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समस्त संघटक संस्थानो में कार्यरत्त शैक्षणिक स्टॉफ के वेतन वृद्धि हेतु बी0ओ0जी0 में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णय लिया जाय। उक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	
	2–विश्वविद्यालय में संचालित एम0टैक0 एवं एम0फार्मा0 पाठ्यक्रम में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7 प्रतिशत वेतन वृद्धि एरियर भुगतान हेतु प्रस्ताव–	2–14वीं वित्त समिति की विगत बैठक बिन्दु सख्या 16 (1) में समस्त संघटक संस्थानों में 7 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य की गयी हैं। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय में संचालित एम0टैक0 एवं एम0फार्मा0 में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य नही कराया गया है। जिसका लाभ उन्हे अनुमन्य कराया जाना है। आंतरिक समिति द्वारा सम्यक विचारोंपरांत निर्णय लिया गया है, उक्त संस्थानो में वित्त समिति के उक्त निर्णयानुसार वर्ष 2016–17 से लागू कराते हुए एरियर अनुमन्य कराया जाय। **उक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।**	
	3– विश्वविद्यालय में संचालित एम0टैक0 में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को वार्षिक अनुबन्ध के समय प्राप्त मानदेय में दिनांक 14.11.2017 को सम्पन्न उ0त0वि0 की	3– विश्वविद्यालय में संचालित एम0टैक0 में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को वर्ष का कार्य/आचरण संतोषजनक होने तथा संकाय की वित्तीय स्थिति सुद्वण होने के दृष्टिगत ही वर्ष	

	आन्तरिक समिति द्वारा निर्धारित वेतन/मानदेय के अनुसार संविदा नवीनीकरण किये जाने का प्रस्ताव–	2017–18 में वार्षिक अनुबन्ध के समय ही वेतनवृद्वि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्मिक संविदा कार्मिक हैं अतः इन्हे वेतन वृद्वि के स्थान पर संविदा नवीनीकरण के समय संलग्न विवरण(पताका क) के अनुसार निर्धारित मानदेय पर संविदा नवीनीकरण किया जाय। प्रस्ताव आगामी वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	**एक आन्तरित समिति गठित कर ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के आधार पर अपनी संस्तुति आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करेगी।**
	4– विश्वविद्यालय में संचालित एम0फार्मा0की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण एम0फार्मा0 में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को वर्ष 2017–18 में वार्षिक अनुबन्ध नवीनीकरण के समय वेतन/मानदेय में कोई वृद्वि न किये जाने का प्रस्ताव–	4–विश्वविद्यालय में संचालितएम0फार्मा0 की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण दिनांक 14.11.2017 को सम्पन्न उ0त0वि0 की आन्तरिक समिति द्वारा एम0फार्मा0 में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को वर्ष 2017–18 में वार्षिक अनुबन्ध नवीनीकरण के समय वेतन/मानदेय में कोई वृद्वि न किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	
बिन्दु–13	**अन्य विषय मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से ।**		
	1–कुलसचिव,उ0त0वि0 हेतु नया वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव ।	शासनादेशो के अनुसार मैदानी मार्गो के लिए वाहन की अवधि 10 वर्ष अथवा 1.75 लाख किमी0 की दूरी तय किये जाने एवं पहाड़ी मार्गो के लिये वाहन की अवधि 08 वर्ष अथवा 1.50 लाख कि0मी0 की दूरी तय किये जाने पर वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है। कुलसचिव महोदय को आवंटित वाहन संख्या यू0के0 07 जी0ए0 0398 जो दिनांक 29.08.2009 को क्रय किया गया वाहन लगभग आठ वर्ष पुराना हो चुका हैं, तथा 159000 लगभग कि0मी0 चल चुका है। उक्त वाहन मैदानी एवं पहाड़ी क्षैत्रों में प्रयोग किया गया है ऐसी दशा में उक्त वाहन की शासनादेशों की व्यवस्था के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु आकलंन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नया	**वित्त समिति शासन के परिवहन विभाग द्वारा जारी अद्यतन शासनादेश/दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की संस्तुति करती है तथा पुराना वाहन निष्प्रयोज्य घोषित होने के बाद एवं प्रावधानित/नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण किए जाने के पश्चात अनुमन्य नया वाहन क्रय किये जाने की संस्तुति प्रदान करती है।**

		वाहन क्रय की स्वीकृति का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	
	2 – कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक को रू0 1000.00 प्रतिमाह मोबाईल व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति का प्रस्ताव।	विभागीय कार्यो /दैनिक कार्यो के सम्पादन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कॉलेजो/शासन/ राजभवन/अन्य से समय–समय पर मोबाईल से वार्ता करनी पड़ती है जिसके लिये तीनों अधिकारियों को रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से मोबाईल व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने का **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**वित्त समिति द्वारा कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक को अधिकतम रू0 1000.00 प्रतिमाह मोबाईल व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई।**
	3–उ0तकनीकी विश्वविद्यालय/महिला तकनीकी संस्थान में माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर 2017 में कार्मिकों की हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान का प्रस्ताव–	उ0तकनीकी विश्वविद्यालय एवं महिला तकनीकी संस्थान में शैक्षिक/गैर शैक्षिक कार्मिकों द्वारा दिनांक 16.09.2017 से 15.10.2017 तक तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत्त कर्मचारियों द्वारा दिनांक 23.10.2017 से 02.11.2017 कार्य बहिष्कार/हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किये जाने हेतु **प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	**वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत संस्थान में की गई हडताल जो कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध थी। उक्त हड़ताली कर्मचारियों एवं आउटसोर्स कर्मियों के वेतन/मानदेय/परिश्रमिक आहरण के सम्बन्ध में यह मत स्थापित हुआ कि उक्त की गई हड़ताल अवैधानिक थी। उक्त अवधि का वेतन देय किये जाने को कोई औचित्य नहीं है किन्तु शासन की नीतियों के अनुरूप उक्त अवधि का, सम्बन्धित कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (यदि नियमानुसार अनुमन्य हो) को समायोजित करते हुए उक्त अवधि के वेतन एवं पारिश्रमिक/मानदेय की नियमानुसार कटौति किए जाने की संस्तुति करती है। इस संबंध मे अवकाश के समायोजन एवं अन्य बिन्दुओं पर नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने का प्राधिकार कुलपति को प्राधिकृत किए जाने की भी संस्तुति करती है। साथ ही समिति का मत है कि भविष्य में हड़ताल आदि की प्रक्रिया संस्थान में न हो। इस सम्बन्ध में शैक्षिक कार्मिकों से अनुबन्ध करते समय सेवा शर्तो का अनुबन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा समस्त कार्मिकों से लिखित अनुबन्ध भी प्राप्त**

			किये जाने की भी संस्तुति प्रदान करती है।
	4– सत्र 2016–18 के एम0टैक0 छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण शुल्क न बढाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर दिशा निर्देश हेतु प्रस्ताव	दिनांक 10.11.2016 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 06 में एम0टैक के छात्र/छात्राओं के शिक्षण शुल्क को प्रति सेमेस्टर रू0 35000/– से बढा कर रू 45000/– किये जाने हेतु निर्णय लिया गया जिसके अनुपालन में एम0टैक0 छात्रों की फीस वर्ष 2017–18 के तृतीय सेमेस्टर से रू 45000/– कर दी गई है छात्र/छात्राओं द्वारा अवगत कराया है कि प्रवेश के समय वर्ष 2016 में हमें रू0 35000/– प्रति सेमेस्टर शिक्षण शुल्क बताया गया था । छात्र/छात्राओं द्वारा उक्त शुल्क वृद्वि न किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराया गया हैं। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत ।	इस बिन्दु पर वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह मत स्थापित हुआ कि वर्तमान में पुराने छात्रों की प्रति सेमेस्टर फीस शुल्क रू0 35000.00 ही रखा जाय। नये छात्रों हेतु वर्तमान शिक्षा सत्र से शुल्क रू0 45000.00 प्रति सेमेस्टर निर्धारित किए जाने पर संस्तुति प्रदान करती है । साथ ही इस सम्बन्ध में वित्त समिति यह भी संस्तुति करती है कि विश्वविद्यालय बी0टैक0 फीस प्रत्येक 04 वर्षो में एवं एम0टैक0 की फीस प्रत्येक 02 वर्षो में पुनरीक्षिण हेतु एक समिति गठित कर किया जाय। इस प्रकार शुल्क पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचारोपरांत सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाय।

(वी0पी0 सिंह,)
संयुक्त सचिव

(वेदीराम)
संयुक्त सचिव

(एम0एम0सेमवाल)
संयुक्त सचिव

(महेश कौशिवा)
अपर सचिव

(जयपाल सिंह तोमर)
संयोजक/सदस्य

(डॉ0यू0एस0रावत)
कुलपति/अध्यक्ष